न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 101 / 2013 / अपील

1. रूडमल पुत्र रामचन्द्र
2. सीताराम पुत्र रामचन्द्र
3. गोपाल पुत्र रामचन्द्र
4. बाबुलाल पुत्र रामचन्द्र
5. मोहनलाल पुत्र रामचन्द्र
6. सोहनलाल पुत्र रामचन्द्र
7. कमला देवी पत्नी रामचन्द्र

समस्त जाति माली निवासीगण ढाणी मालियों की तन सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर।

अपीलान्टस

बनाम

सत्यमेव जयते

1. संदीप तंवर पुत्र रामदयाल तंवर जाति ढोली निवासी कुम्हारों का मोहल्ला वार्ड नम्बर 8 सम्राट के पास तहसील व जिला सीकर।
2. जडाव बेवा नारायण
3. भगवानसहाय
4. बनवारीलाल
5. लेखराज
6. जयप्रकाश

(3–6) पुत्रगण नारायण

7. सन्तोष
8. माया
9. मन्जू

(7–9) पुत्रियां नारायण

समस्त जाति मेघवंशी निवासीगण ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर।

10. तहसीलदार श्रीमाधोपुर

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 1887 दिनांक 17.11.2013 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर

वकील अपीलांट श्री सोहनलाल

निर्णय — **दिनांकः—21.10.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि विवादित भूमियां खाता संख्या 445 खसरा नम्बर 445 रकबा 1.52 है0, खसरा नम्बर 446 रकबा 0.01 है0, खसरा नम्बर 447 रकबा 2.22 है0, खसरा नम्बर 509 रकबा 0.56 है0, खसरा नम्बर 538 रकबा 0.10 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 4.41 हैक्टेयर ग्राम सरगोठ पटवार हल्का सरगोठ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उपरोक्त भूमियों के पुराने खसरा नम्बर 200 है तथा उक्त खसरा नम्बर 200 की खातेदारी पूर्व में मंगलसिंह पुत्र श्री मूलसिंह राजपूत के

Web Copy - Not Official

खातेदारी जगदीश प्रसाद व ताराचंद पुत्र प्रेमसुख महाजन हिस्सा 1/2 व गोपालसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह हिस्सा 1/2 राजपुत महरोली ने अपने नाम से अंकित करवा ली। उक्त गलत खातेदारी के इन्द्राजात के बाद उक्त भूमियों का उक्त जगदीशप्रसाद व ताराचन्द पुत्र प्रेमसुख महाजन व गोपालसिंह पुत्र नारायणसिंह ने बालाबाला रेस्पो0 संख्या 2 ता 9 के पिता–पति नारायण को विक्रय लेख बेचान कर दी। उक्त नारायण के फौत होने पर उक्त खातेदारी को रेस्पो0 सं0 3 ता 9 व उसके लडके व माता जडाव ने अपने नाम करवा लिया। जिसका कि उनको कोई विधिक हक अधिकार नही था, ना ही उनका कब्जा, काश्त था। जबकि उक्त भूमियों पर शुरू से कब्जा काश्त निरंतर रूप से अपीलांट एवं इनके पूर्वजों का चला आ रहा है तथा वर्तमान में भी अपीलांट्स ही काबिज काश्त एवं आबाद है एवम घरेलू बिजली का कनेक्शन ले रखा है। इस प्रकार अपीलांटस के शुरू से चले आ रहे कब्जे को देखते हुए रेस्पो0 संख्या 3 ता 9 व उसके भाईयों राजकुमार शिवचरण व रेस्पो0 संख्या 2 ने अपीलांट्स के हक में उक्त भूमियों बाबत एक विक्रय इकरारनामा 10 रूपये के स्टाम्प पर दिनांक 03.08.1987 को प्रार्थीगण के हक में लिखवाकर अपनी–अपनी अंगूठा निशानी व हस्ताक्षर स्वेच्छा से कर दिए थे। इस प्रकार उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त भूमियों पर सदैव से कब्जा, काश्त अपीलांटस एवं इनके पूर्वजों का चला आ रहा है। रेस्पो0 संख्या 2 ता 9 ने न्यायालय तहसीलदार सीकर के यहां प्रार्थना अन्तर्गत धारा 183(बी) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उनवानी जडाव देवी आदि बनाम रूडमल आदि मुकदमा नम्बर 06/2012 की कार्यवाही चली थी। जिसमें भी माननीय न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया था तथा अपने उक्त निर्णय आदेश में न्यायालय ने उक्त भूमियों पर कब्जा अपीलांटस का ही माना है। उक्त भूमियो की मौके की जांच तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा गिरदावर हल्का से करवायी गयी है। जिसमें भी गिरदावर हल्का ने उक्त भूमियों पर कब्जा, काश्त अपीलांट्स का होना मानकर उक्त मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 30.11.1999 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के यहां प्रेषित की गयी है, जिससे भी साबित होता है कि उक्त भूमियों पर सदैव से कब्जा, काश्त अपीलांट्स का चला आ रहा है। उपरोक्त समस्त कार्यवाहियों के बावजूद रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा रेस्पो0 संख्या 2 ता 9 से मिलकर वादग्रस्त भूमियों के 9/11 हिस्से के बाबत अवैध विक्रय पत्र अपने हक में निष्पादित एवं पंजीकृत करवा लिया। और उनके आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से अपीलाधीन नामांतकरण अपने हक में तस्दीक करवा लिया। स्वीकृत रूप से वादग्रस्त भूमियों के बाबत सिविल व राजस्व न्यायालयों में नियमित वाद विचाराधीन थे। इसके बावजूद तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा नामांतकरण जैसी समरी कार्यवाही को नहीं रोक दौराने दावा निष्पादित एवम पंजीकृत अवैध विक्रय पत्र के आधार पर नामांतरकरण तस्दीक कर दिया गया। अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक करने से अपीलांट्स हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना व सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1887 बाबत ग्राम सरगोठ दिनांक 17.11.2013 द्वारा तहसीलदार श्रीमाधोपुर निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन नामान्तकरण विक्रय लेख के आधार पर तस्दीक किया हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन करने पर उक्त विक्रय लेख उप पंजियक श्रीमाधोपुर द्वारा रजिस्टर्ड किया हुआ है। अपीलाधीन नामान्तकरण उक्त रजिस्टर्ड विक्रय लेख के आधार पर तस्दीक किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अनुसार

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

नामान्तकरण को केवल मात्र अपील के माध्यम से चुनौति दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलांट सारहीन व आधारहीन होने से खारिज की जाती है। अपीलांट वादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में अपने हितों की रक्षा के लिए उक्त विक्रय पत्र के विरूद्व समक्ष स्तर पर वाद/अपील पेश कर चाराजोही करें।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/10/19

(जय प्रकाश)

अति० जिला कलक्टर, सीकर

अति० जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official